पालनहार योजना :-

1.	पात्रता श्रेणी	• सभी अनाथ बालक/बालिका। • मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता/पिता के सभी बच्चे। • निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के तीन बच्चे। • विधिवत् पुनर्विवाहित विधवा माता के सभी बच्चे। • एच.आई.वी. एडस पीडित माता पिता के सभी बच्चे। • कुष्ठ रोग से पीडित माता पिता के सभी बच्चे। • नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे। • विशेष योग्यजन माता पिता के सभी बच्चे। • तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के सभी बच्चे। • अनाथ बच्चों के प्रकरण में सहोदर वयस्क भाई कमाने वाला ना हो। • अनाथ बच्चों के प्रकरण में संबंधित पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख से अधिक ना हो। • अनाथ बच्चों से संबंधित पालनहार/विधवा माता कम से कम तीन वर्ष की अवधि से राजस्थान राज्य में रह रहे हो। दो वर्ष की आयु में आंगनवाड़ी केन्द्रो पर व 6 वर्ष की आयु के बच्चों को विद्यालय में जाना अनिवार्य है।
2.	आवेदन कहां करें	ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन पत्र (श्रेणीवार अपेक्षित दस्तावेज लगाकर) ई मित्र कियोस्क पर दर्ज करवाकर पंचायत समिति सुमेरपुर में जमा करायें जा सकते है।
3.	श्रेणीवार आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने योग्य दस्तावेज	• माता-पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति। • न्यायालय द्वारा दण्डादेश की प्रति। • पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र/विधवा पेंशन (पी.पी.ओ.) की प्रति। • पुनर्विवाह के प्रमाण पत्र की छायाप्रति। • ए.आर.टी. सेन्टर द्वारा जारी ए.आर.डी. डायरी/ग्रीन कार्ड की प्रति। • सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किये गये चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति। • नाता किये हुए एक वर्ष से अधिक समय होने का ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र। • 40 प्रतिशत या अधिक नि:शक्तता के प्रमाण पत्र की प्रति। • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नाता प्रमाण पत्र की प्रति। • न्यायालय द्वारा जारी तलाक प्रमाण पत्र। • न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी परित्यक्ता प्रमाण पत्र। • समस्त बच्चों का आंगनवाडी/विद्यालय में अध्ययनरत प्रमाण पत्र। • पालनहार का कोड सहित एस.बी.बी.जे. बैंक का खाता विवरण। • अनाथ बच्चों का पालन-पोषण करने का प्रमाण पत्र। • आधार कार्ड की प्रति। • भामाशाह कार्ड की प्रति। • पालनहार द्वारा स्वयं सत्यापित आय प्रमाण पत्र। (वार्षिक आय 1.20 लाख से कम होनी चाहिए) • मूल निवास प्रमाण पत्र (कम से कम 3 वर्ष से राज्य में निवासरत होने का प्रमाण पत्र)
4.	देय अनुदान राशि	• निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला एवं विधवा नाते जाने वाली महिला की संतान को छोड़कर अन्य श्रेणी के बच्चों के लिए पालनहार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा देय अनुदान राशि – 1. 5 वर्ष तक की आयु की बच्चे हेतु 500 रू. प्रतिमाह (आंगन वाड़ी केन्द्र जाना अनिवार्य) 2. स्कूल में प्रवेशित होने के पश्चात (6 वर्ष से 18 वर्ष तक आयु के बच्चे) 1000 रू. प्रतिमाह (विद्यालय जाना अनिवार्य।) 3. वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि हेतु 2000/- वार्षिक (विद्यालय जाने पर ही देय है/ विधवा पालनहार व नाता पालनहार को देय नहीं है।) • निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला को उसकी द्वितीय संतान के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक तीन संतान के लिए देय अनुदान राशि – 1. 5 वर्ष तक की आयु की बच्चे हेतु 500 रू. प्रतिमाह (आंगन वाड़ी केन्द्र जाना अनिवार्य) 2. स्कूल में प्रवेशित होने के पश्चात 1000 रू. प्रतिमाह (विद्यालय जाना अनिवार्य।)